

By e-mail  
राजस्थान सरकार

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक प.10 (क) ( ) (का.भा)विधि/डीएलबी/23/818


दिनांक: 26-7-2023

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक प2(क)( )सी.एम.ओ. जाँच/डी.एल.बी/2022/1209 दिनांक 16.05.2023 के द्वारा श्रीमति भीतू बोथरा को सभापति नगर परिषद नागौर एवं सदस्य पद से निलम्बित किया गया है। नगर परिषद नागौर में सभापति का पद सामान्य वर्ग महिला के लिये आरक्षित है।

अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50 (1)(i) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमति पायल गहलोत पार्षद वार्ड संख्या 11 को नगर परिषद नागौर में सभापति/अध्यक्ष के पद का कार्यभार पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 3737-3752 दिनांक 24.05.2023 की निरन्तरता में 60 दिवस से अनधिक की कालावधि अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश जो भी पूर्व हो तक के लिए दिया जाता है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।




(हृदय कुमार शर्मा)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

दिनांक: 26-7-2023

क्रमांक: प.8 (ड)(का.भा)विधि/डीएलबी/23/819-831  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
4. सभागीय आयुक्त अजमेर/जिला कलक्टर, नागौर।
5. निदेशक/ अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राज0 राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6 (क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. उपसचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय जयपुर।
7. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग अजमेर।
8. उपखण्ड अधिकारी नागौर।
9. श्रीमति पायल गहलोत पार्षद वार्ड संख्या 11 नगर परिषद नागौर।
10. आयुक्त अधिकारी नगर परिषद नागौर।
11. प्रोग्रामर (आई.टी सैल) निदेशालय का अपलोड करने हेतु।
12. सुरक्षित पत्रावली।



वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी